

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी  
(शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडेल)  
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

ग संख्या: 107/2020

धीर्गण :-

1. कोजाराम पुत्र कालूराम  
कौम विश्‍नोई निवासी मोटी ढाणी, डावड तहसील गुड़ामालानी जिला बाडमेर  
बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. श्रीराम पुत्र मानाराम वगैरा ( 14)
15. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाडमेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:-

1. रामजीवन विश्‍नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता विप्रार्थीगण 1 व 2

--: आदेश :-

दिनांक :- 27.11.2021

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से वकील चिमनसिंह चौधरी उपस्थित हुए परन्तु प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का कोई उजर एतराज पेश नहीं किया शेष विप्रार्थीगण के खिलाफ बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 केम्प डावड पेश हुई। हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा मजमेआम जानकारी ली गई। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2073-2076 सरहद मौजा मोटी ढाणी के खेत खसरा नम्बर 1580/1064 रकबा 64-10 बीघा एवं खसरा नम्बर 1063 रकबा 32.04 बीघा का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माटे नहीं होने से वक्त प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों को मौके पर उपस्थित रहने की सूचना विधिवत नोटिस देकर तथा मौके पर उपस्थित करते हुए, दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा मोटी ढाणी के खेत खसरा नम्बर 1580/1064 रकबा 64-10 बीघा एवं खसरा नम्बर 1063 रकबा 32.04 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक ...27/11/21... को प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय डावड में मजमेआम खुले न्यायालय सुनाया गया।

(9m)  
प्रमोद कुमार, गुड़ामालानी  
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी  
(शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडेल)

क्रमांक: वाद/2021/842

दिनांक : 5/12/21

प्रार्थीगण

बनाम

विप्राधीगण

कोकराम

शिविर प्रभारी

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु  
नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी

राजस्व आवेदन सं.....107/2020

निर्णय दिनांक :- 27-11-21

-: आदेश :-

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम.....केटी.....के खेत खसरा  
नम्बर.....1580/रकवा.....64-10.....खसरा नम्बर.....1063.....रकवा.....32-04.....खसरा  
नम्बर.....रकवा.....खसरा नम्बर.....रकवा.....एवं  
खसरा नम्बर.....रकवा.....की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित  
करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार.....को कमीतर नियुक्त  
किया जाता है। कमीशनर फीश रूपये 500/- प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर  
उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद  
प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(प्रमोद कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी  
शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडेल

दिनांक : 5/12/21

क्रमांक: वाद/2021/843-845

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार.....को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी
2. थानाधिकारी.....
3. हल्का पटवारी.....
4. प्रार्थी.....कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
5. विप्राधी.....

(प्रमोद कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी  
शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडेल